



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP03552554387196V

e-Stamp

विपिन तिवारी
 इलाहाबाद
 नवाबगंज नं० 76/21
 नवाबगंज की अवधि 31/03/2024
 नवाबगंज नवाबगंज, गोण्डा

Certificate No. : IN-UP03552554387196V
 Certificate Issued Date : 02-Sep-2023 12:30 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14806104/ TARABGANJ/ UP/GND
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1480610402754478621647V
 Purchased by : SECRETARY JANAK LALI TIWARI SHIKSHAN SANSTHAN
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : SECRETARY JANAK LALI TIWARI SHIKSHAN SANSTHAN
 Second Party : RAJEEV KUMAR TIWARI
 Stamp Duty Paid By : SECRETARY JANAK LALI TIWARI SHIKSHAN SANSTHAN
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)

NOTARIAL STAMP RE. 181- AMBEGAON
 ERICHA NAWABGANJ
 NOTARY (TARABGANJ) GONDA U.P.



1333
 02-09-2023

शपथ-पत्र (प्रारूप-"अ")

हम रुद्र प्रसाद तिवारी एवं राजीव कुमार तिवारी कमशः अध्यक्ष एवं सचिव जनकलली तिवारी शिक्षण संस्थान ग्राम परसापुर पोस्ट नवाबगंज जनपद गोण्डा (उत्तर प्रदेश) शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रुद्र कालेज ऑफ फार्मेसी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।



(Signature)
 अध्यक्ष

जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
 परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

(Signature)
 सचिव

जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
 परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

Statutory Alert:

- The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.e-stamp.gov.in or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India Ltd. Any discrepancy in the details on this Certificate and its availed on the website / Mobile App renders it invalid.
- The issue of creating the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम परसापुर पोस्ट नवाबगंज जनपद गोण्डा (उत्तर प्रदेश) में गाटा संख्या 1281ख, 1281मि, 1282 एवं 1284 रकबा क्रमशः 0.1500 हेक्टेयर, 0.4710 हेक्टेयर, 0.1960 हेक्टेयर एवं 0.3237 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.1407 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि गाटा संख्या 1281ख, 1281मि, 1282 एवं 1284 रकबा क्रमशः 0.1500 हेक्टेयर, 0.4710 हेक्टेयर, 0.1960 हेक्टेयर एवं 0.3237 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.1407 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20.05.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण, अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

K. S. Singh

अध्यक्ष

जनक लती तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

P. K. Singh

सचिव

जनक लती तिवारी शिक्षण संस्थान
परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

8. यह कि इस संस्था मे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिसर से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व में कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यह मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थनीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यावाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त सूचना मेरे निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटि पूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यावाही की जा सकेगी। ऐसी की गई विधिक कार्यावाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।



SWORN & VERIFIED
 JEFOR
 JUN 02
 Krishna Narayan
 ADV & NOTARY Faridkot, Gonda (U.P.)

[Signature]
 HO अध्यक्ष
 अध्यक्ष
 जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
 परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

[Signature]
 HO सचिव
 सचिव
 जनक लली तिवारी शिक्षण संस्थान
 परसापुर, नवाबगंज-गोण्डा (उ०प्र०)

हस्ताक्षर
 २२.०५.२०२०
 ०२.०५.२०
 २.५.२०